पत्रावली संख्या III - 205

पंजीकृत डाक द्वारा

नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

वास्तुकला एवं नियोजन विभाग

मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6 नौएडा(उ0प्र0)

संख्याः-नौएडा/मु0वा0नि0/2024/III-205/ 1272

दिनांकः 26-11-2024

M/s. Sikka Infrastructure Pvt. Ltd.
GH-01/A1, Sector-143 B, Noida
Distric-Gautambudh Nagar,
U.P.

बिषयः- ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जी0एच0–01 / ए1 सैक्टर–143बी, नौएडा के भवन मानचित्र के पुनर्वैधीकरण के सम्बन्ध में।

कृपया आपके द्वारा ग्रुप हाऊसिंग भूखण्ड संख्या जी0एच0–01 / ए1, सैक्टर–143 बी, नौएडा का प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत भवन मानचित्र पत्र संख्या नौएडा / मु0वा0नि0 / 2012 / IV/1316/530 दिनॉक 05.07.2012 के पुनर्वैधीकरण हेतु दिनॉक 20.09.2024 को आवेदन किया गया है। प्रश्नगत प्रकरण में सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त प्राधिकरण द्वारा पुनर्वैधीकरण हेतु जमा शुल्क का सत्यापन के आधार पर स्वीकृत मानचित्रों की पुनर्वैधीकरण निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जाती है:–

1. भवन मानचित्रों की नवीन अधिकतम वैधता सीमा 10 वर्ष अर्थात दिनांक 04.07.2017 से 03.07.2027 तक के लिए अनुमन्य होगी।
2. आवंटी संस्था को समय–समय पर प्राधिकरण एवं शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशो का पालन सुनिश्चित करना होगा।
3. उ0प्र0 रियल स्टेट रेग्यूलेट्री एक्ट-2016, पर्यावरण विभाग / माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण/माननीय न्यायालय/उच्च न्यायालय/सर्वोच्च न्यायालय तथा अन्य सम्बन्धित राज्य व केन्द्र सरकार के समय-समय पर लागू होने वाले सभी अधिनियमों एवं उसके अन्तर्गत नियमों / विनियमों/निर्देशों/आदेशों आदि (अध्यावधिक यथा संशोधित एवं प्रभावी) का अनुपालन कार्यदायी संस्था/पट्टा धारक/उप पट्टा धारक पर बाध्यकारी होगा ।
4. परियोजना का अधिभोग प्रमाण पत्र प्राप्ति के समय आवंटी द्वारा ग्रुप हाऊसिंग विभाग से समय वृद्धि प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा।
5. आवंटी संस्था को इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग एवं आगन्तुको हेतु पार्किंग (अनुमन्य का 10 प्रतिशत) की व्यवस्था परिसर के अंदर करना होगा।
6. सन्दर्भित ग्रुप हाऊसिंग योजना के अन्य प्रावधान / नियम / शर्ते पूर्व में जारी स्वीकृति पत्र संख्या नौएडा / मु0वा0नि0 / 2012 / IV/1316/530 दिनॉक 05.07.2012 के अनुसार रहेगी।
7. अस्थाई अधिभोग प्रमाण पत्र (टी0ओ0सी0) में अंकित शर्तो का पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. अग्निशमन विभाग की संशोधित अनापत्ति (NOC's) जमा कराना होगा।
9. प्रश्नगत परियोजना में अन्य विभागो से जारी अनापत्तियॉ (NOC's), जिसकी वैधता अवधि समाप्त हो गयी है, उसे संशोधित कराकर प्राधिकरण में जमा कराना होगा ।

नाम ....
पद 26/11/2024
नौएडा

संलग्नः- पुर्नवैद्यीकरण मानचित्र की प्रति ।

प्रतिलिपिः विशेष कार्याधिकारी(ग्रु0हा0) को सूचनार्थ।

REVALIDATION
Map for proposed Building is as per Bye Laws. Submitted for Approval Please

Asstt. **Asstt/Arch.** **Architect**